The time and labour involved in collecting the required data will not therefore be commensurate with the result to be achieved. The number of monument attendants at present posted at the various protected monuments in the whole country is, however, 789.

Legal Implication of "Gheraos"

2394. **Shri K. N. Pandey:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government have been able to define the legal implication of 'Gheraos'; and

(b) if so, the legal opinion obtained in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Gherao has come to signify the keeping of a person or group of persons under wrongful confinement. This is essentially a problem affecting law and order which is the responsibility of the State Governments. Its legal implications will depend upon the facts of each case.

गोआ में गिरजाघरों की मरम्मत

2395. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की मुक्ति के समय से लेकर 31 मार्च, 1967 तक की अवधि में गोआ में गिरजा घरों की मरम्मत करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी रकम दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसी प्रकार की सहायता अन्य धर्मों के धार्मिक स्थानों की मरम्मत करने के लिये भी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने सीधे तौर पर गोआ, दमन तथा दियू में गिरजों या अन्य धार्मिक संस्थानों की मरम्मत के लिये कोई राशि खर्च नहीं की है किन्तु स्थानीय सरकार ने गिरजों तथा मन्दिरों की मरम्मत पर कुछ राशि व्यय की है ।

(ग) गिरजा घरों पर :
69,033.67 रुपये ।
मन्दिरों पर 15,226 11 रुपये ।

दिल्ली जेल में नजरबन्द चीनी लोग

2396. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली की जेल में नजरबन्द कुछ चीनियों ने विभिन्न आधारों पर अपनी रिहाई के लिये आवेदन पत्र दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, उन्होंने अपने आवेदन पत्र किन तारीखों को दिये है तथा सरकार ने प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन आवेदन कर्त्ताओं ने अपनी रिहाई किन आधारों पर मांगी है तथा सरकार ने किस आधार पर इन आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली में विदेशी अधिनियम, 1946 (न कि विदेशी पंजीकरण अधिनियम) के अधीन